

प्रेषक,

हरिराज किशोर  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,  
सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उ0प्र0  
242-जवाहर भवन, लखनऊ 1

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1

लखनऊ दिनांक 30 अगस्त, 2017

विषय-वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये स्वीकृत विभागीय बजट प्राविधान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के पत्र संख्या-4/2017/बी-1-414/दस-2017-12(2)/2017, दिनांक 23 मार्च, 2017 के क्रम में आपके पत्र दिनांक 26-04-2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए स्वीकृत विभागीय बजट प्राविधान के सापेक्ष शासनादेश संख्या 3/2017/326/44-1-2017-3(बजट-03)/2016, दिनांक 28 मार्च, 2017 द्वारा प्रथम 05 माह (अप्रैल 2017 से अगस्त 2017 तक) के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि रूपये 245.77 लाख को घटाते/ समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/ 2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन बजट मैनुअल के पैरा-88 के प्रावधानों के अनुसार अनुदान संख्या-85 के लेखाशीर्षक-3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवार्य-800-अन्य व्यय-03-सार्वजनिक उद्यम निदेशालय तथा 04-सार्वजनिक उद्यम विभाग (आडिट प्रकोष्ठ) के अन्तर्गत विभिन्न मदों में दर्शायी गयी धनराशियों को वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय करने हेतु कुल धनराशि रु0 371.74 लाख (रूपये तीन करोड़ इकहत्तर लाख चौहत्तर हजार मात्र) की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये स्वीकृत विभागीय बजट प्राविधान के सापेक्ष सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो निदेशालय एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग (आडिट प्रकोष्ठ) के लिए स्वीकृत धनराशियों का विवरण निम्नवत् है-

03-सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो निदेशालय

मद संख्या	वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए स्वीकृत अवशेष धनराशि (लाख रु0 में)
01-वेतन	276.09
02-मजदूरी	1.37
03-महंगाई भत्ता	18.54
04-यात्रा व्यय	0.58
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.29

06-अन्य भत्ते	15.75
07-मानदेय	0.00
08-कार्यालय व्यय	2.92
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.87
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.87
13-टेलीफोन पर व्यय	0.87
14-मोटर गाड़ियों का क्रय	0.00
15-गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेटोल आदि की खरीद	5.25
16-व्यवसायिक तथा सेवाओं के लिए भुगतान	0.58
18-प्रकाशन	---
22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	---
42-अन्य व्यय	0.29
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.58
45-अवकाश यात्रा व्यय	0.58
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	0.58
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	2.33
49-चिकित्सा व्यय	4.13
51-वर्दी व्यय	0.07
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	28.54
<b>योग</b>	<b>361.08</b>

(रूपये तीन करोड इकसठ लाख आठ हजार मात्र)

#### 04-सार्वजनिक उद्यम विभाग (आडिट प्रकोष्ठ)

मद संख्या	वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए स्वीकृत अवशेष धनराशि (लाख रू0 में)
01-वेतन	6.07
02-मजदूरी	0.06
03-महंगाई भत्ता	0.40
04-यात्रा व्यय	0.06
06-अन्य भत्ते	0.69
07-मानदेय	0.09
08-कार्यालय व्यय	0.23
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.17
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.35
13-टेलीफोन पर व्यय	0.17
16-व्यवसायिक तथा सेवाओं के लिए भुगतान	0.58
42-अन्य व्यय	0.15

44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.06
45-अवकाश यात्रा व्यय	0.06
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	0.58
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	0.29
49-चिकित्सा व्यय	0.09
51-वर्दी व्यय	0.06
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.50
<b>योग</b>	<b>10.66</b>

(रूपये दस लाख छ्छठ हजार मात्र)

3- उपरोक्त धनराशि उक्त विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखी जा रही है।

4- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासन अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व सक्षम स्तर से ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

5- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

इसके साथ साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैन्डर्ड ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

6- उपरोक्त के साथ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अनुदानों को विभागवार/विभागाध्यक्षवार तैयार करने के कारण एक ही लेखाशीर्षक अनेक अनुदानों के अन्तर्गत प्रदर्शित होता है, जिसके फलस्वरूप महालेखाकार कार्यालय में व्यय को सुसंगत लेखाशीर्षक, अनुदान के अन्तर्गत पुस्तांकन (बुकिंग) में त्रुटि रह जाने की सम्भावना रहती है। अतः जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उनमें सही लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड सहित) के साथ साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्य किया जाये, जिससे महालेखाकार कार्यालय, इलाहाबाद में व्यय के आकड़ों की बुकिंग में त्रुटियों न होने पाये।

**भवदीय,**

**हरिराज किशोर**  
**अपर मुख्य सचिव।**

**संख्या- 5/2017/1021(1) /44-1-2017-3(बजट-03)/2016, तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार कार्यालय (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- प्रथम महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 3- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-5
- 4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 6- संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा), सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 7- आहरण एवं वितरण अधिकारी, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 8- उपनिदेशक (प्रभारी अधिकारी), सार्वजनिक उद्यम विभाग, आडिट प्रकोष्ठ, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 9- आहरण एवं वितरण अधिकारी, सार्वजनिक उद्यम विभाग, (आडिट प्रकोष्ठ) जवाहर भवन, लखनऊ।
- 10-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह  
अनु सचिव।